

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं.1742/Type Approval No.1742

मद/ For Item : सील इन्फ्लेशन एण्ड डिफ्लेशन वाल्व, पार्ट सं. 1247 00 000/ Seal Inflation and Deflation Valve, Part No. 1247 00 000

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, बाराबंकी रोड, लखनऊ -226016 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "सील इन्फ्लेशन एण्ड डिफ्लेशन वाल्व" पार्ट सं. 1247 00 000 को सामान्य असेंब्ली आरेखन सं. 1247 00 000-111 इश्यू-1 दिनांक 01 जुलाई 2011 के अनुसार हिन्दुस्तान जेट ट्रैनर (एचजेटी-36) वायुयान में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है । यह उत्पाद आर.सी.एम.ए (लखनऊ) के समन्वय से टाइप टेस्ट शेड्यूल सं. 1247 00 000-154, इश्यू-सी, दिनांक 14 जून 2011 और नियन्त्रक अभिकल्प विनिर्देश सं. 1247 00 000-204 इश्यू-बी दिनांक 01 जुलाई 2009 के अनुसार परीक्षित किया गया है । यह उत्पाद परिशिष्ट'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है ।

This is to certify that the "Seal Inflation and Deflation Valve" bearing the Part No.: 1247 00 000 designed, developed and manufactured by "M/s Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Lucknow – 226 016", is hereby approved for production as per General Assembly Drawing No.:1247 00 000-111, Issue-1, dated 01st Jul 2011 for use in "Hindustan Jet Trainer (HJT-36) Aircraft. The product has been tested as per Type Test Schedule No. 124700 000-154, Issue-C, dated 14th Jun 2011 and Governing Design Specification No.: 1247 00 000 – 204, Issue-'B', dated 01st Jul 2009 in co-ordination with RCMA (Lucknow). It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

पृष्ठ/Page 01 of 02

पृष्ठ/Page 02 of 02 टीए सं/TA No. 1742

इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सुपरसीड होती है । इसके उत्पादन के लिए अपनाई गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है । उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोटस में उल्लेखित किया जाना चाहिए ।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसम्बर 2017 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाये और इसके बाद इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन प्रतिसूचना को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), एचएएल पी.ओ, लखनऊ - 226 016 के माध्यम से सेमिलेक से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2017 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request CEMILAC through RCMA (Lucknow), HAL P.O, Lucknow-226 016, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो या किसी भी चरण में उत्पादन प्रक्रिया/ मेटीरियल्स में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलेक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes if any to the SOP declared to the performance indicated and change in manufacturing process/materials at any stage within the Type Record enclosed herewith are effected.

यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए निश्चित रूप से दर्शायी गई विधियों के अनुसरण और **डी.जी.ए.क्यू.ए,** रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण के पहलुओं पर आधारित है ।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by **DGAQA**, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl: परिशिष्ट'ए'/Appendix'A'

सं/No.: सेमिलेक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1742

2 & Dec दिनांक/Date: 2012 फेक्स सं/Fax No: 080-25230856

विशिष्ट वैज्ञानिक / Distinguish Scientist मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/ Chief Executive (Airworthiness)